संख्या– 37 /XIX/2008-38 खाद्य/02

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक 10 जनवरी, 2008

विषय: जनपद टिहरी के स्थित नैनबाग में खाद्यान्न गोदाम के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थित नैनबाग में खाद्य गोदाम निर्माण के लिए परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, नई टिहरी द्वारा तैयार रू0 36.58 लाख के आगणन को वर्ष 2002–03 में T.A.C. द्वारा परीक्षणोपरान्त रू0 29.19 लाख अनुमोदित किया गया था, जिसके विरूद्ध रू0 10 लाख की प्रथम किस्त, शासनादेश दिनांक– 10.01.2003 द्वारा निर्गत की गयी थी। उक्त योजना हेतु सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम द्वारा पुन: उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित/संशोधित आगणन रू0 52.56 लाख के सापेक्ष T.A.C. द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत के अनुरूप रू0 45.40 लाख (रूपये पैन्तालीस लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ वर्ष 2004–2005 में निमार्ण कार्य के लिए रू0 10.00 लाख की द्वितीय किस्त, शासनादेश दिनांक–14.09.2004 तथा योजना की तीसरी किस्त रू. 20.00 लाख की स्वीकृती शासादेश दिनांक 16.01.2006 के द्वारा दी गयी थी। चालू वित्तीय वर्ष में उक्त योजना हेतु अवशेष एवं अन्तिम किस्त रू. 5.40 लाख (रूपये पांच लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय की स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

1. उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–16, उ0प्र0 जल निगम, हरिद्वार को इस शर्त के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि वह माह जनवरी, 2008 के अन्त तक उक्त खाद्यान्न गोदाम का निमार्ण पूर्ण कराकर आयुक्त, खाद्य को हस्तान्तरित कराये जाने का प्रमाण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृती/अनुमोदित दरों का पुन: स्वीकृत हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। पुन: पुनरीक्षित किसी भी दशा मे अनुमन्य नही होगा। योजना का कार्य अनुमोदित लागत मे ही पूर्ण किया जायेगा।

3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टिगत रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों व विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित किये जायेंगे तथा निमार्ण किये जा रहे कार्यो मे भूकम्प अवरोधी निमार्ण तकनीक का समावेश अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

4. स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

5. वित्तीय स्वीकृति जिस मद हेतु दी जा रही है, उसी मद पर व्यय की जाय। स्वीकृत धनराशि कदापि अन्य मदों के उपयोग मे नही लाया जायेगा।

6. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय एवं इसका पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण इकाई कार्यदायी संस्था का होगा।

7. यह सुनिश्चित किया जाय कि वित्तीय स्वीकृति जिस योजना के लिये दी जा रही है उसे उसी मद पर व्यय की जाये कदापि अन्य मदों के प्रयोजन में नहीं लायी जायेगी।

स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अनुदान संख्या 25-लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागारण पर पूंजीगत परिव्यय-02-भण्डारण तथा भण्डारागारण-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-91-जिला योजना में गोदाम निर्माण कार्य-00-24- वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 1184/वित्त अनुभाग-5/2007, दिनांक- 02 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या- 37- (1)/XIX/08-38 खाद्य/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
6. संभागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल संभाग, देहरादून।
7. वरिष्ठ संभागीय वित्त अधिकारी, गढ़वाल संभाग, देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-16, उ0प्र0 जल निगम, कन्स्ट्रक्शन एवी डिजाइन सर्विसेज, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग/गार्ड फाईल।
10. समन्वयक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव।